>

Title: Discussion on points arising out of the answer given by the Minister of Agriculture on 27.08.13 to Starred Question No. 241 regarding 'Compensation to Farmers for Crop Loss'.

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस देश के अंदर फसल के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने के बारे में तारांकित प्रश्न 241 के संबंध में 27-08-2013 को कृषि मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से उत्पन्न बिन्दुओं पर चर्चा उठाने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने बाढ़ और सूखे पर ...(व्यवधान) सर, हाउस ऑर्डर में नहीं है। सर, हाउस ऑर्डर में कराएं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Order in the House, please.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members who are standing in the aisles may please take their seats.

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा कि बाढ़ और सूखे से फसल खराब होने पर हम छोटे और सीमान्त किसानों को पूरी मदद करेंगे। जहां तक सवाल है कि कहीं पर बारिश हुई और कहीं पर सूखा पड़ा यानी कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है। तेज बारिश से खड़ी फसल को व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ देश में बरसात कहां अच्छी हुई, कहां नहीं हुई, कितनी भूमि सिंचित है, कितनी असिंचित हैं, माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे।

दूसरे, इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर ओलावृष्टि, बाढ़ या सूखे के कारण चक्रवात, बादल फटने, भूकंप, भू-स्खलन, कीट-आक्रमण, सुनामी, शीत लहर और पाला से जो आपदाएं हुई हैं, उनके लिए हम किसानों की मदद करेंगे। देश का जो किसान संगठन है, वह बराबर पर्याप्त मुआवजे की मांग कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा क्योंकि अगर शरद पवार जी होते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता लेकिन हमारे कृषि राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह इसका जवाब देंगे। केवल फसल ही नहीं बल्कि तमाम हमारे जो फल हैं, जैसे अमरूद के बाग हैं, रेशम के कीट पालने वाले तमाम ऐसे बाग हैं, अन्य फसलों को भी बराबर का नुकसान हुआ है। सरकार इसमें क्या कदम उठा रही है? सरकार का क्या प्रस्ताव है? यह हमें बताएं।

## 22.03 hrs.

(Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

तीसरे, नुकसान के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को आप क्षतिपूर्ति हेतु क्या राशि प्रदान करने जा रहे हैं? यह आप अपने उत्तर में बताइएगा। केन्द्र और राज्य की राष्ट्रीय आपदा अन्नपूर्णा कोष दिशानिर्देश तैयार किया गया है। वित्त आयोग के समीक्षा संशोधन में भी बराबर यह जिक्र किया जाता है लेकिन जीवन और सम्पति, हानि-क्षतिपूर्ति के लिए इसमें व्यवस्था नहीं है लेकिन फसलों के लिए जून 2013 में यह वृद्धि की गई है। हम कहना चाहेंगे कि सदन के हमारे सम्मानित साथी चाहे शाहनवाज़ जी, नीरज शेखर जी, रामकिशुन जी, तूफानी सरोज जी, राधे मोहन जी और तमाम साथियों ने यहां पर और आपने भी अपनी जगह पर खड़े होकर इस बात की मांग की है कि पूरे उत्तर भारत में मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में पूरी तरीके से तबाही मची हुई है। गंगा, यमुना में व्यापक पैमाने पर बाढ़ आई हुई है। इसमें तमाम किसानों की लाखों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई। जो बागान थे। उनको नुकसान हुआ है। दलहन और यहां तक कि चावल, तिलहन, दलहन की खेती को व्यापक नुकसान हुआ है। मूंग, उर्द, अरहर, बाजरा और पचास से ज्यादा फसलों को सौ प्रतिशत नुकसान हुआ है। वे डूब गई हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि जान-मान का तो जहां नुकसान हुआ ही है लेकिन जो किसानों का अगर पचास प्रतिशत से ज्यादा उनका नुकसान हुआ है या सौ प्रतिशत हुआ है तो मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हम उनको पूरी तरीके से मुआवजा देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि समय समय पर जो ये तमाम सवाल उठाये जाते रहे हैं, क्या मंत्री जी सबका जवाब देंगे? चूंकि किसान बहुत ही गरीब और निरीह है। वह लघु, सीमान्त किसान है, वह साल भर का अनाज का उत्पादन करता है, साग-सब्जी लगाता है, फलों का उत्पादन करता है।...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** कृपया आप शांति बनाये रखें, माननीय शैलेन्द्र जी बोल रहे हैं, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सदन में शांति रखें।

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि सप्लिमैन्टरी क्वैश्चन भी आया था, उसमें मैंने भी सप्लिमेन्टरी क्वैश्चन किया था और माननीय शरद पवार जी ने यह बयान दिया था कि अगर राज्यों की सरकारें हमें निवेदन करती हैं या पत्र लिखती हैं तो हम यहां केन्द्रीय दल भेजकर तमाम फसलों, बागानों, साग-सब्जियों, दलहन-तिलहन की फसलों का जो नुकसान हुआ है, उसका पूरा मुआवजा देने की व्यवस्था करेंगे।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अब तक जिन राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने माननीय मंत्री जी को निवेदन पत्र भेजे हैं, क्या आपने उन राज्यों में केन्द्रीय दल भेजे हैं या नहीं तथा अब तक आपके पास पूरे आंकड़े आये हैं या नहीं? अगर आंकड़े आये हैं तो आपने क्या अनुमान लगाया है, कितनी फसलें नष्ट हुई हैं, उस पर मुआवजा देने की आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहूंगा। मैं इसलिए जल्दी बैठ रहा हूं कि आधे घंटे की इस चर्चा में तमाम हमारे साथी भी प्रश्न पूछना चाहेंगे, मैं उन्हें मौका देने के लिए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.):** महोदय, इसमें तीन प्वाइंट्स हैं, हमारे मित्र शैलेन्द्र कुमार जी का जो प्रश्न है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है, आप इसे तीन भाग में डिवाइड कीजिए। एक तो आपकी मानसिकता क्या है? मेरा कहना है कि अगर यह राहत है तो आपकी मानसिकता उन गरीब किसानों को वास्तव में कम्पैनसेट करने की है या नहीं? अगर आपकी मानसिकता नहीं है और सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है तो अभी उत्तर प्रदेश में तीन-तीन साल पुराने मामलों में सौ-सौ रुपये और बीस-बीस रुपये के चैक आते थे।

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आकलन का जो प्रोसैस है, वह बहुत गलत है। लेखपाल पर छोड़ दिया जाता है और लेखपाल यह बताते हैं कि कलक्टर साहब हमसे कहते हैं कि चालीस परसैन्ट से ज्यादा...

**सभापति महोदय :** इस पर आपका सवाल और सुझाव क्या है?

**श्री विजय बहादुर सिंह :** मेरा सुझाव यह है कि इसका प्रोसैस ट्रंसपैरेन्ट हो, जो आकलन हो, वहां के जनप्रतिनिधि, खासकर मैम्बर ऑफ पार्लियामैन्ट को पहले बताइये और विधायकों को बताइये।

दूसरी बात यह है कि जो भी प्रोसैस हो, मैं एक उदाहरण दूंगा, अगर पूरे साल की फसल नष्ट हो जाए तो राज्य सरकार की डिमांड है कि दस हजार रुपये प्रति हैक्टेअर दिया जाए, हालांकि यह भी बहुत कम है। ढाई एकड़ का एक हैक्टेअर होता है तो दस हजार एक हैक्टेअर पर दिया जाए, यानी अगर पूरी फसल नष्ट हो जाए तो दस हजार रुपये दिये जाएं।

**सभापति महोदय :**कृपया सवाल करें।

**श्री विजय बहादुर सिंह :** आप चार हजार दे रहे हैं, यह चार हजार आप फॉर्मेलिटीज में क्यों दे रहे हैं। जब 100 प्रतिशत लॉस है और दस हजार रुपये की मिनिमम मांग है तो फिर आप चार हजार रुपये क्यों दे रहे हैं? मेरा कहना है कि आप इस रेट को चेंज करिये।

मेरा लास्ट पाइंट यह है कि आप इसे टाइम बाउंड कीजिए। नवम्बर और दिसम्बर की फसल के पहले अगर किसान को आप नहीं देंगे तो सब बेकार है, क्योंकि वह तैयारी नहीं कर पाता। इसलिए प्रथम आप इसे टाइम बाउंड करिये, दूसरा प्रोसैस को ट्रंसपैरेन्ट करिये और तीसरा मानसिकता राहत देने की और उन्हें हील अप करने की करिये। यही मैं कहना चाहता हूं।

**सभापति महोदय :** अभी माननीय मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो बतायेंगे कि राज्य से मेमोरेंडम प्राप्त हुआ कि नहीं। माननीय महेन्द्र सिंह चौहाण आप बोलिये और कृपया सवाल पूछिये।

**श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):** महोदय, हम सब जानते हैं कि किसान अनेक तकलीफों एवं मुसीबतों का सामना करके कृषि का काम करता है, सारे राष्ट्र का पोषण करता है। हम किसान को जगत का तात कहते हैं, लेकिन इस तात की स्थिति आज दयनीय बनी हुई है। एक सर्वे में पाया गया है कि देश के 42 प्रतिशत किसान कृषि से दुखी होकर इसे छोड़ना चाहते हैं। किसान खेती करता है तो या तो अपना राष्ट्र धर्म समझकर करता है या अपनी मजबूरी समझकर करता है। बाढ़, सुखाड़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, पाले, हिम, वर्षा आदि अनेक कुदरती कारणों से फसल को नुकसान होता है तो बीमा सुरक्षा योजना से थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन कभी-कभी फर्जी बियारण (बीज), फर्जी कीटनाशक, नीलगाय, झुंड, रोज, बंदर, हाथी आदि जैसे जंगली जानवर तैयार फसल को बरबाद कर देते हैं तथा कभी-कभी चोरी और आगजनी जैसे कारणों से भी कृषि को नुकसान होता है।

मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या इन्हीं कारणों से फसल को नुकसान होने पर किसान को पर्याप्त मुआवजा मिलेगा?

**श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):** सभापति महोदय, बाढ़ और सूखा से पूरे देश में नुकसान हो रहा है, खास कर के उत्तर भारत में ज्यादा नुकसान हो रहा है। उत्तर भारत जो हमेशा बाढ़ और सूखा से परेशान रहता है, किसानों का लाखों-करोड़ों का नुकसान होता है। मैं खास कर अपने आजमगढ़ मण्डल की बात कह रहा हूँ कि चाहे आजमगढ़ हो या बलिया हो, मऊ जनपद हो जो बड़े पैमाने पर घाघरा और गंगा के बीच में बसा हुआ है, बाढ़ के समय में पूरी फसल डूब जाती है। सूखे के समय में हमारा देवारा इलाका है, जो घाघरा के किनारे है, अगर एक चिंगारी हुई तो पांच किलोमीटर-दस किलोमीटर तक पूरी की पूरी फसल से लेकर पूरा आवास स्वाहा हो जाता है। उसके लिए कोई परमानेंट नीति नहीं बनी है।

हमारे संसदीय क्षेत्र में नई बाजार से ले कर के दोहरीघाट, जो बहुत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, जहां दोहरी का मिलन हुआ आठ किलोमीटर तक पूरी सड़क और घाघरा के किनारे मुश्किल से पांच सौ किलोमीटर भी नहीं बचा हुआ है, तब सड़क कट जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। दोहरी घाट से ले कर के बलिया बॉर्डर तक बंधे के किनारे सारा कुछ नष्ट है। लेकिन इसके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई है।

सभापति महोदय, मैं जानता हूँ कि उत्तर भारत और खास कर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का जो हिस्सा है, वहां बाढ़ और सूखे की चपेट में आने से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, उसके लिए कोई स्थायी नीति बनाने का काम करें। तब जा कर किसानों का भला हो सकता है।

**डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती):** सभापति जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से ही श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महराजगंज राप्ती के कहर से फसलें बिल्कुल बर्बाद हो जाती हैं। न सिर्फ फसलें ही बर्बाद होती हैं, बल्कि जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, पालतू पशुओं को भी चारा मुहैया नहीं होता है। किसानों की बड़ी ही दुर्दशा है। तमाम मकान भी कट गए लेकिन मुआवज़े की जो नीति बनाई गई है, उसमें जन-प्रतिनिधियों को शामिल न किए जाने से बड़ी ही विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि उन विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए जो मुआवज़े की नीति बने, जन-प्रतिनिधियों को भी उसमें शामिल किया जाए और उसमें उनके विचार भी लिए जाएं।

माननीय महोदय, इसी क्रम में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मित्रों की जगह उनकी नियुक्तियां हुई हैं। वे 13 वर्ष से काम कर रहे हैं और वर्तमान में उनके लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया था। उससे मुक्त करने के लिए जो किसानों के बेटे हैं, उनकी ओर भी आपकी तरफ से एक ध्यान चाहूंगा। ...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** माननीय मंत्री जी, आप कृपया सभी माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

## 22.13hrs (Madam Speaker *in the Chair)*

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** महोदय, मैं सबसे पहले श्री शैलेन्द्र कुमार और उन तमाम सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज यहां उठाया है। किसानों को मुआवज़ा देने की बात और किसानों के जो नुकसान हुए हैं, उसकी बात इन्होंने कही है।

मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा सदन इस बात की चिंता कर रहा है कि किसानों की फ़सल की जो क्षति होती है, उसकी पूर्ति कैसे की जाए। यह हमारे देश का और हमारे किसानों का दुर्भाग्य है कि जो पूरे देश के लोगों का पेट भरते हैं, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, वह किसान लगभग हर वर्ष कहीं न कहीं इस देश के अंदर जो प्राकृतिक प्रकोप होता है, उससे उसको क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है।

वह खून पसीना बहाकर कोशिश करता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारे, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है। उन्हीं बातों को लेकर हमारे माननीय सदस्य ने इस मसले को उठाया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय संसद सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो हर वर्ष प्राकृतिक प्रकोप होता है, उसका सामना करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में यह फैसला किया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड बनाया जाए और उसके माध्यम से राज्यों में जो भी आपत्ति आती है, जो भी आपदा आती है और किसानों को उससे जो क्षति पहुंचती है, उससे उनको राहत पहुंचाने का काम किया जाए। इस दिशा में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को पूरी आर्थिक मदद दी जाती है। जो समान राज्य हैं, उन्हें 75 और 25 के अनुपात में राशि दी जाती है, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। जो ऐसे राज्य हैं, खास तौर पर जो विशेष श्रेणी में आते हैं, उन राज्यों में लगभग 90 और 10 के रेश्यो में सहायता की जाती है। जो राज्य स्तर पर डिजास्टर रिस्पांड फंड बनाया गया है, वह इसीलिए बनाया गया है कि जब इस तरह का कोई प्राकृतिक प्रकोप हो, जिसका जिक्र शैलेन्द्र जी ने किया, चाहे वह सूखा हो, फ्लड हो, फसल में कीड़े की बीमारी लग जाये, भूकंप आ जाये, शीत लहर है या इसी प्रकार की जितनी भी आपदा हों, जिनका जिक्र आपने किया, उन सब चीजों से किसानों को उस समय कैसे अविलंब राहत पहुंचायी जाए, इसी उद्देश्य से उसका गठन किया गया।

जो राज्य स्तर पर डिजास्टर रिस्पांस फंड है, राज्यों को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि जैसे ही ऐसी कोई आपदा आती है और किसानों का नुकसान होता है, तो उनको अविलंब राहत पहुंचायी जाए। उस दिशा में जैसा अभी कहा गया कि आपदा के समय उस योजना के तहत जो मदद की जाती है, भारत सरकार द्वारा जो अनुमोदित है, उसमें चार हजार पांच सौ रूपये प्रति हैक्टेअर वर्षा सिंचित क्षेत्रों को दिया जाता है।...(व्यवधान) आपने कहा कि दस हजार रूपए के लिए राज्यों ने मांग की है।...(व्यवधान) चूंकि इस पर जैसा मैंने आपसे कहा, 13वें वित्त आयोग का जिक्र आपने किया कि 13वें वित्त आयोग के तहत यह अलोकेशन दिया गया है, उसके तहत यह तय किया गया है। इसमें कई प्रक्रियायें हैं और उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद इस नतीजे पर हम लोग पहुंचते हैं। केन्द्र के गृह मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने सबने मिलकर यह फैसला किया, जैसा मैंने कहा कि चार हजार पांच सौ रूपए प्रति हैक्टेअर,...(व्यवधान) उसके बाद न्यूनतम सहायता कम से कम सात सौ पचास रूपए और अधिसिंचित क्षेत्र के लिए नौ हजार रूपए प्रति हैक्टेअर है।...(व्यवधान) एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) कम से कम 1500 रुपये की फसलों को देने का फैसला हुआ। लगभग 12 हज़ार रुपये जो न्यूनतम सहायता ...(व्यवधान) और सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 12 हज़ार रुपये प्रति हैक्टेयर दिये जाते हैं। ...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** वह तो जवाब में दिया गया है।

**श्री तारिक अनवर :** उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मंत्री जी को बोलने दीजिए।

**श्री विजय बहादुर सिंह :** वित्त आयोग एंटी फार्मर है। ...(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** वित्त आयोग ने जो रिपोर्ट दी है या जो उनका आधार है, सभी चीज़ों पर विचार करने के बाद वे इस नतीजे पर पहुँचे हैं, जो हम लोगों ने तय किया है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह मुआवज़ा नहीं है। यह राहत है, क्षतिपूर्ति नहीं है। ...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** राहत, क्षतिपूर्ति और मुआवज़े का फर्क बताइए। ...(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** राहत जो दी जाती है, वह तत्काल दी जाती है ताकि उस समय जो भी किसानों को नुकसान हुआ है, उनको कुछ राहत मिले, इसी उद्देश्य से उनको राहत दी जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं या किसान चाहता है कि उसको पूरी तरह से फसल का मुआवज़ा मिले तो उसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ओर से कई योजनाएँ हैं जिसमें नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरैन्स स्कीम है, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरैन्स है, पाइलट वैदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरैन्स है, कोकोनट पाम इंश्योरैन्स स्कीम है। ये तमाम स्कीमें ऐसी हैं कि जिनका राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन होना चाहिए मगर बहुत से राज्यों में अभी तक इसका नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। इनके आधार पर उनको पूरा मुआवज़ा मिलेगा। जो नुकसान हुआ है, उसका पूरा मुआवज़ा तभी मिलेगा, जब इन स्कीमों को किसान अपनाएँगे। ...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):** आप लंबा भाषण न दें। आप यह बताएँ कि क्या राहत देंगे या क्या मुआवज़ा देंगे।

**श्री तारिक अनवर :** अभी जो प्रावधान है, वह हमने आपको बताया कि यह प्रावधान सरकार की ओर से है, कृषि मंत्रालय की ओर से है और जो आपदा को लेकर बनाया गया संगठन है, उसके द्वारा वह दिया जाता है। इसमें राज्य सरकार को पूरा अधिकार दिया गया है कि ऐसी कोई आपदा हो तो अविलंब उस फंड से उसको दिया जाए और अगर उसमें फंड की कमी हो जाए तो फिर वह केन्द्र से और सहायता मांग सकता है। ...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** हम वही मांग कर रहे हैं कि आप बताएँ कि केन्द्र क्या मदद कर रहा है? ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मंत्री जी, आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

**श्री तारिक अनवर :** मैं शैलेन्द्र जी को बताना चाहता हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश का ज़िक्र किया कि उत्तर प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है। पांडे जी ने भी किया, और लोगों ने भी किया लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक उत्तर प्रदेश से क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी मैमोरण्डम नहीं आया है। ...(व्यवधान)

हमारे पास नहीं आया है। ...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** आप जानकारी कर लीजिए। आपके पास गया है। ...(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** आज की तारीख तक नहीं आया है। कल आ जाए तो अलग बात है। ...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** आप फाइलें गुम कर देते हैं। कोलगेट में फाइलें गुम कर देते हैं। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप मंत्री जी को सुनिये। Nothing else will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

**अध्यक्ष महोदया :** आप सब लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** अध्यक्ष महोदया, अभी हमारे पास कल जो मैमोरण्डम आया है फ्लड को लेकर, उसमें सिर्फ गवर्नमैंट ऑफ महाराष्ट्र का है, उसमें पंजाब के बादल साहब की चिट्ठी है, लेकिन उसमें ज्ञापन नहीं है, पूरी रिपोर्ट नहीं है। उसी तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री का भी पत्र है कृषि मंत्री जी के नाम, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, उसको इन लोगों ने पूरा नहीं किया है।...(व्यवधान) अगर आप मदद लेने को तैयार होंगे तब न।...(व्यवधान) मदद लेने को तैयार तो होइये।...(व्यवधान) नहीं हैं।...(व्यवधान) आप इस मसले को यहां उठा रहे हैं। आपको इस मसले को वहां उठाना चाहिए था।...(व्यवधान) कहीं से भी नहीं आया है।...(व्यवधान) झारखण्ड से भी नहीं आया है।...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** आपकी कोई कमेटी यहां से जाती है तो क्या आपने वह भेजी है? अगर भेजी है तो उसकी रिपोर्ट क्या आयी है?...(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** नहीं आया।...(व्यवधान) किसी राज्य से नहीं आया।...(व्यवधान)

आपका कहना सही है कि पहले वहां से जो रिपोर्ट आती है, जो राज्य सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट आती है।...(व्यवधान) उसी के आधार पर यहां से हाईलेवल कमेटी भेजी जाती है।...(व्यवधान) कृषि मंत्रालय से फिर हाईलेवल की कमेटी जाती है, वह कमेटी आकर रिपोर्ट करती है।...(व्यवधान) उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और उसकी जो भी प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करके उसी हिसाब से उसको किया जाता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, हम इनको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, जो भी हमारे माननीय सदस्य ने यह उठाया है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मंत्री जी, आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** आपने बिलकुल सही कहा...(व्यवधान) अभी तक नहीं आया है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please address the Chair.

...(*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग बैठ जाइए। उनको उत्तर देने दीजिए। आप अपनी बात कह चुके हैं।

â€¦(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** चर्चा का समय पूरा होने जा रहा है।

â€¦(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** अध्यक्ष महोदया, सूओमोटो केन्द्र सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती है, जब तक राज्य सरकार की ओर से अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा

नुकसान हुआ है और वहां से अगर हमारे पास रिपोर्ट आती है तो उसी के आधार पर हम अपनी टीम वहां भेजते हैं और जब उस टीम की रिपोर्ट आ जाती है तो उसी आधार पर उनको आर्थिक सहायता दी जाती है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग बैठ जाइए। दारा सिंह जी बैठ जाइए। समय होने जा रहा है।

â€¦(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** किसी भी राज्य से अभी तक, जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र को छोड़कर...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** बिलकुल नहीं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

**श्री तारिक अनवर :** अध्यक्ष महोदया, कृषि मंत्रालय को जो अभी तक चिट्ठी आयी है, दो मुख्यमंत्रियों की चिट्ठी आयी है, जिसमें कनार्टक और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, जो रिपोर्ट आयी है, जो ज्ञापन के रूप में आया है, वह सिर्फ महाराष्ट्र का आया है और किसी दूसरे राज्य का, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखण्ड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, किसी का भी नहीं आया है।...(व्यवधान) मध्य प्रदेश से भी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग क्या कर रहे हैं?

â€¦(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** मध्य प्रदेश से भी कोई ज्ञापन नहीं मिला है...(व्यवधान) आप उसको भिजवाइए।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग क्या कर रहे हैं?

â€¦(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही उनके राज्य से हमारे पास ज्ञापन आएगा,...(व्यवधान) हम उस पर अपनी टीम भेजेंगे...(व्यवधान) और अविलम्ब उनको आर्थिक मदद दी जाएगी।...(व्यवधान) यह हम आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाते हैं।...(व्यवधान)

**22.28 hrs**

**NATIONAL SONG**

**अध्यक्ष महोदया :** सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएं।

*The National Song was played.*

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned *sine die.*

**22.30 hrs**

## The Lok Sabha then adjourned sine die.

* Not recorded.

* Expunged as ordered by the Chair.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Moved with the recommendation of the President.

* Expunged as ordered by the Chair.

* Expunged as ordered by the Chair.

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Moved with the recommendation of the President.

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table

* Expunged as ordered by the Chair.

* Not recorded.

* Not recorded.